



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275135
CG-DL-E-03082026-275135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4130]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4130]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4306(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166 (अ) दिनांक 29/04/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 30/04/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन कॉरीडोर एलएनसी#47 से एलएनसी#51 को जोड़ने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के धनाली- गांव, तहसील – जोटाना एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 07/05/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइपलाइन कॉरीडोर एलएनसी#47 से एलएनसी#51 को जोड़ने के लिए

तालुका:- जोटाना

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	धनाली	293		00	04	76
2		292		00	15	10
3		299		00	22	93
4		304		00	07	62
5		305		00	13	70
6		315		00	05	97
7		314		00	05	03
8		313		00	04	80
9		520		00	01	62
10		352		00	10	33
11		353		00	10	11
12		357		00	08	07
13		358		00	04	46
14		359		00	04	62
15		360		00	05	24
16		375		00	13	88
17		374		00	15	24
18		372		00	14	13
19		371		00	15	44
		कुल क्षेत्रफल		18305		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/27/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-52276)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4306(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 2166(E), Dated 29/04/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 30/04/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline CORRIDOR FROM LNC#47 TO LNC#51 in DHANALI village, Tal. Jotana & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 07/05/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPELINE CORRIDOR FOR LNC#47 TO LNC#51

TALUKA: - JOTANA

DISTRICT:- MEHSANA

STATE:- GUJARAT

Name of village	Survey No./ Block No.	Part if any	Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4		
1	293		00	04	76
2	292		00	15	10
3	299		00	22	93
4	304		00	07	62
5	305		00	13	70
6	315		00	05	97
7	314		00	05	03
8	313		00	04	80
9	520		00	01	62
10	352		00	10	33
11	353		00	10	11
12	357		00	08	07
13	358		00	04	46
14	359		00	04	62
15	360		00	05	24
16	375		00	13	88
17	374		00	15	24
18	372		00	14	13
19	371		00	15	44
Total Area			18305		

[F. No. Expl-13011(26)/27/2025-EXPL-PNG (E-52276)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.